तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म ... में जा...
	दिनांक 15/5/22 आज सम्बन्धित न्यायालय से पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत/लोक अदालतमे पेश हुई। परिवादी व वादी अनुपस्थित। अभियुक्त व अभियुक्तगण /प्रतिवादी अनुपस्थित। पत्रावली मे कोई कार्यवाही नही हो सकी पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को नियत पेशी से पूर्व 1/9/22 भेजी जावे। अध्यक्ष न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनवा	
1/9/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकगणों द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली वास्ते सामान्य कार्यवाही दिनांक 17/10/22को पेश हो।	
17/10/22	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० है। बहस प्रार्थना पत्र ग-1 सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 31/10/22 को पेश हो।	
31/10/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। पैरोकार सरकार उपस्थित है। बहस प्रार्थना पत्र मे वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि भूमि सिवायचक दर्ज रिकार्ड है जिसको प्रार्थी अपने खाते लगवाना चाहता है जो अस्वीकार्य है। प्रथम दृष्टया भूमि सिवायचक दर्ज रिकार्ड होने के कारण केस प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है। भूमि सिवायचक होने के [illegible] क्षति एवं सुविधा सन्तुलन का बिन्दु [illegible] के पक्ष मे साबित न[illegible] प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्त[illegible] अस्वीकार किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न रहे।	

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.04.10 16:55:28 IST
Reason: SelfAttested